


24.7.15

शाज पत्रावली राजस्व लोक अडालन -
अभिमान न्याय आयेने सर 2015 के म
पेडर से उद्वर दुर्घ / पत्रावली का
अचलकन करने पर पाया कि अर्थात् के
दिनांक-13-3-09 को एक पक्षीय अल्वार्ड
निर्षेधाशा अप्र करने के बाद न्यायालय
के आदेशों के अन्तर्गत प्रांच वर्ष अर्थात् के
ले तलकी करने में कोई काने नही दिखार
है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार
कि शा पक्षकारान की लह लालेदारी की
शुभे है किन्तु विभाजन हेतु यावा उद्वर
किमा गया है। कायनत अविभाजित शोभे
पर अर्थात् लहकालनकारो के अर्थात् इंच
पर कवजा माना जाता है तथा लह-
लालेदारी को स्टे से परबंद नही किया
जा सकता। अतः उक्त का गुणावयुक्त
पर निष्काण करने हेतु दिनांक-13-3-09
को जारी अन्तर्गत अल्वार्ड निर्षेधाशा
स्वादि विभा जाता है। पत्रावली के अन्त
गुणावयुक्त शूल वाद के साथ लालन
नही


(सम्राजपरिचाल)
उपखण्ड अधिकारी
बबर (भरवपुर) राब०

